पत्रांक :–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 401/बजट
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 15/05/2025

विषयः– राँची विश्वविद्यालय, राँची के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 2,33,76,85,000=00 (दो अरब तेतीस करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त विभाग का पत्रांक 338/बजट दि0 28.03.2025

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय (घाटानुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय सहित) के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 2,33,76,85,000=00 (दो अरब तेतीस करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है–

विश्वविद्यालय का नाम	शीर्ष एवं विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध की राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
राँची विश्वविद्यालय, राँची	2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, A7–राँची विश्वविद्यालय, राँची को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष– 06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–21S220203102A7000679	2,33,76,85,000=00	2,33,76,85,000=00

2. उपर्युक्त स्वीकृत की जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम–341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार, राँची को अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही इस राशि से भुगतान होगा तथा राशि की विमुक्ति के समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं परिपत्र संख्या–1800 दिनांक – 15.07.2003 का अनुपालन किया जायेगा। राशि विमुक्ति के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण पर दी गई स्वीकृति के आधार पर ही की जा रही है। यदि इस आदेश का विचलन होता है तो आगे का भुगतान अविलम्ब बंद कर दिया जायेगा एवं भुगतायी गई राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी तथा दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

5. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

6. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि से विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पद के विरूद्ध सेवा निवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियमित पेंशन, पूर्व के वित्तीय वर्षों में सृजित बकाया पेंशनादि, चालू वित्तीय वर्ष में उद्भूत बकाया पेंशनादि तथा न्यायालीय वाद से आच्छादित मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार स्वतः विमुक्ति की जा सकेगी।

8. कंडिका–7 का अनुपालन निम्न शर्त्तों के अधीन किया जायेगा–

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जॉच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

9. विश्वविद्यालय के पी0 एल0 खाता में पूर्व वित्तीय वर्षो में प्राप्त राशि की अधिशेष राशि इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि के साथ जोड़ी तथा व्यय की जा सकेगी।

10. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
16/बजट दिनांक 17.04.2023	2335936000/–	2335936000/–

12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

15/5/25

(राजा कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) ५०/बजट /रॉची, दिनांक– 15/05/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/5/25

(राजा कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) ५०/बजट /रॉची, दिनांक– 15/05/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/5/25

(राजा कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।